कार्यालय जिला पंचायत, बस्तर जिला, जगदलपुर

क्रमांक/3427/CSR/जि0पं0/2014–15 जगदलपुर, दिनांक 11/5/2015

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छ0ग0 संवाद, छोटापारा,
जनसंपर्क संचालनालय के पास,
रायपुर (छ0ग0)

विषयः– EOI प्रकाशन के संबंध में।

––––000––––

एन0एम0डी0सी0 परिक्षेत्र विकास निधि सीएसआर के तहत् बस्तर जिले के सभी 07 जनपद पंचायतों में कुल 390 हितग्राहियों को बैम्बू, बेलमेटल एंव तुम्बा आर्ट का प्रशिक्षण दिया जाना है। जिसके तहत् अनुभवी संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाने हैं।

कृपया दिनांक 13/05/2015 को प्रकाशित होने वाले प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित दो समाचार–पत्रों एवं राष्ट्रीय स्तर के दो समाचार पत्रों में संलग्न EOI अनिवार्य रूप से प्रकाशन कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बस्तर
11/5/15

NMDC

विज्ञापन

रूचि की अभिव्यक्ति (Expression Of Interest)

एन0एम0डी0सी0 परिक्षेत्र विकास निधि (CSR) के तहत बस्तर जिले के सभी 07 जनपद पंचायतों में कुल 390 हितग्राहियों को बैम्बू , बेलमेटल एवं तुम्बा आर्ट प्रशिक्षण कार्य का तीन महीने का प्रशिक्षण दिया जाना है, जिसमें अनुभवी संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित हैं।

प्रस्ताव दिनांक 15 जून, 2015 तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर जगदलपुर के पदनाम से जिला पंचायत बस्तर जगदलपुर में जमा/प्रेषित कर सकते हैं। दिनांक 15 जून, 2015 के पश्चात् प्राप्त प्रस्ताव पर विचार नही किया जावेगा । विस्तृत विवरण एव शर्ते जिला पंचायत् कार्यालय में उपस्थित होकर एवं जिले/जिला पंचायत की वेबसाईट **WWW.bastar.gov.in** एवं **WWW.Zpbastar.cgpanchayat.gov.in** पर देखा जा सकता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, बस्तर

NMDC

विज्ञापन

रूचि की अभिव्यक्ति (Expression Of Interest)

एन0एम0डी0सी0 परिक्षेत्र विकास निधि (CSR) के तहत बस्तर जिले के सभी 7 जनपदों में कुल 390 हितग्राहियों को बैम्बू , बेलमेटल एवं तुम्बा आर्ट प्रशिक्षण कार्य का तीन महीने का प्रशिक्षण दिया जाना है, जिसमें अनुभवी संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित हैं।

–शर्तें–

(1) संस्था पंजीकृत हो तथा संस्था का पंजीयन हुये कम से कम 05 वर्ष हो गये हो।

(2) संस्था का पिछले तीन वर्षो का आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।

(3) संस्थाओं को शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं एवं स्वतंत्र रूप से संपादित कार्यो के उपरोक्तानुसार क्षेत्रों में अब तक दिये गये प्रशिक्षण/किये गये कार्यो के दस्तावेज/प्रमाणक प्रस्तुत करने होगें।

(4) उक्त प्रशिक्षण के क्षेत्र में शासकीय निकाय (विभाग) के अन्तर्गत कार्य करने का 03 वर्षो का अनुभव धारक को प्राथमिकता दिया जावेगा।

(5) बैम्बू, बेलमेटल व तुम्बा से बनी सामग्री विक्रय किये जाने की व्यवस्था (मार्केटिग) देना आवश्यक होगा, ताकि प्रशिक्षण उपरान्त बनी सामग्री का विक्रय किया जा सके।

(6) संस्था को कपार्ट या भारत सरकार के किसी विभाग अथवा राज्य सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला होना चाहिए।

(7) वन विभाग में अन्तर्गत बॉस प्रसंस्करण केन्द्र के संचालन करने वाली संस्था को प्राथमिकता दी जावेगी।

(8) 390 हितग्राहियों को प्रशिक्षण (रहने, भोजन, मानदेय, लगने वाले उपकरण औजार एवं प्रशिक्षण उपरान्त उपकरण प्रदाय आदि) की व्यवस्था दी जानी होगी। इस हेतु राशि गणना सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

(9) प्रशिक्षण बस्तर जिले के सभी 7 जनपदों में दिया जाना है (6 जनपदों में 60–60 एवं एक जनपद लोहण्डीगुड़ा में 30 हितग्राही)।

(10) संस्था एक या एक से अधिक जनपदों या सभी जनपदों में प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव दे सकते है।

(11) संस्था को कार्यो के संबंध में प्रस्तुतीकरण देना होगा। प्रस्तुतीकरण में तकनिकी रूप से उपयुक्त पाये जाने पर ही कार्य आदेश दिये जाने पर विचार किया जावेगा।

(12) संस्थाओं द्वारा आवेदन–पत्र सभी संबंद्व प्रमाण–पत्रों एवं जानकारियों के समर्थन में दस्तावेजों की स्व–सत्यापित प्रतियों के सुसज्जित दस्तावेजों एवं तथ्यों की प्रमाणिकता सहित प्रस्तुत करना होगा।

(13) आवेदनों को गुण–दोषों के आधार पर स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास होगा।

(14) चयनित संस्था को अमानत राशि (ईएमडी) के रूप में राशि रूपये 300000.00 (शब्दों में रूपये तीन लाख मात्र) का एफडीआर/बैक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक. जमा करना अनिवार्य होगा। बैंक ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर के एकाउन्ट .... (निविदादाता) के नाम होना चाहिए। बिना अमानत राशि के निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएगी।

जिन निविदादाताओं की निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी, उनकी अमानत राशि 15 दिवस के भीतर वापस कर दी जाएगी।

NMDC

11/5/15

(15) वित्तीय आफर में जिस निविदाकार की दर न्यूनतम पाई जावेगी उसी निविदाकार को कार्य संपादन हेतु बुलाया जावेगा। यदि एल–1 निविदाकार निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारंभ नहीं कर पाता है तो आदेश निरस्त करते हुए एल–2 निविदाकार को कार्य संपादन हेतु बुलाया जा सकेगा।

निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर कार्यादेश को निरस्त करते हुये नीचे के क्रम पर उल्लेखित फर्म को कार्य संपादन हेतु आदेशित किया जावेगा तथा अंतर की राशि कार्यादेश निरस्त की गई फर्म से भू–राजस्व की भॉति वसूल की जावेगी तथा अमानत राशि राजसात की जावेगी।

(16) निविदा निम्नानुसार प्रस्तुत की जायेः–

(1) लिफाफा (अ) ईएमडी या अमानत राशि से छूट से संबंधित प्रमाण–पत्र

(2) लिफाफा (ब) वित्तीय आफर

उपरोक्त दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे के अंदर रखकर सीलबंद कर प्रस्तुत किए जाए जो कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर जिला, जगदलपुर को संबोधित हो। लिफाफे पर भेजने वाले का नाम, पता, मोबाईल नम्बर तथा अंदर रखे लिफाफों का विवरण अंकित होना चाहिए।

(17) निविदाएॅ दिनांक 16 जून, 2015 को संध्या 5.00 बजे खोली जावेगी। निविदादाता/उनके द्वारा अधिकृति प्रतिनिधि निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते है।

(18) उक्त प्रक्रिया के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उसके निराकरण हेतु न्यायालयीन क्षेत्र जगदलपुर (छ0ग0) के अधीन होगा।

(19) निविदादाताओं एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर के बीच किसी प्रकार का मतभेद/वाद उत्पन्न होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, बस्तर

NMDC